इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2015—श्रावण 23, शक 1937

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2015

क्र. 8560-2015-तेरह.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) के विनियम 43 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 33 किलोवोल्ट को उस वोल्टेज के रूप में अधिसूचित करता है, जिससे अधिक के विद्युत् संस्थापनों को, जिनमें कि आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के संस्थापन भी सम्मिलित हैं, विद्युत् निरीक्षक द्वारा निरीक्षण और जांच की जाएगी:

परन्तु बड़ी सार्वजनिक सभा या अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यक्रम की दशा में संबंधित विद्युत संस्थापन के निरीक्षण और जांच विद्युत् निरीक्षक द्वारा की जाएगी:

परन्तु यह और कि अधिसूचित और इससे कम वोल्टेज के प्रत्येक विद्युत् संस्थापन के लिए निरीक्षण, जांच संस्थापन के स्वामी द्वारा आपूर्ति शुरू करने से पहले या 6 महीने या इससे ज्यादा समय से बंद संस्थापन को पुन: शुरू करने के लिए स्वप्रमाणित की जाएगी, जिससे कि सुसंगत विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके एवं विद्युत् निरीक्षक को संस्थापन के स्वामी द्वारा एक माह के भीतर स्वप्रमाणन की रिपोर्ट विनियम की अनुसूची-चार के यथास्थिति प्ररूप-एक या प्ररूप-दो या प्ररूप-तीन में प्रस्तुत की जाएगी. संस्थापन के स्वामी को उक्त विनियम के विनियम 43 के उप विनियम (3) के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक से निरीक्षण और जांच का एक विकल्प भी उपलब्ध होगा:

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) से ऐसे पर्यवेक्षण क्षमता प्रमाण-पत्र धारकों को, जो विद्युत् इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारण करते हों और विद्युत् संस्थापनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में उक्त विनियम, के विनियम 5(क) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि या चार्टर तैयार होने तक, जो भी पहले हो, प्राधिकृत करती है.

2. उक्त विनियम के विनियम 30 के प्रयोजन के अंतर्गत विद्युत निरीक्षक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण और जांच के प्रयोजन हेतु 250 वोल्ट अधिसूचित वोल्टेज होगा.

3. स्वप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (विद्युत् आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे.

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. 8560-15-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and sub regulation (2) of Regulation 43 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electrical Supply), Regulations 2010 (as amended), the State Government, hereby, notifies 33 Kilo Volt as the voltage only above which inspection and testing of electrical installation including installations of suppliers or consumer shall be carried out by the Electrical Inspector:

Provided that in case of large public gathering or VIP visits, the inspection and testing of the concerned electrical installation shall be carried out by the Electrical Inspector :

Provided further that every electrical installation of voltage equal to or below the notified voltage shall be inspected, tested and self-certified by the owner of the installation before the commencement of supply or recommencement after shutdown for six months and above for ensuring observance of safety measures as specified under relevant regulations. The self certification shall be in Form-1 or Form-II or Form-III of Schedule-IV of the said Regulations, as the case may be, and shall be submitted to the Electrical Inspector within one month. Owner of the installation shall have an option to get installation inspected and tested by the Electrical Inspector under sub regulation (3) of Regulation 43 of the said Regulations :

Provided also that the State Government authorizes such Supervisory Competency Certificate holders from Madhya Pradesh Licensing Board (Electrical), who are graduate in Electrical Engineering and have atleast 5 years experience in installation, operation and maintenance of electrical installation as chartered Electrical Safety Engineer under clause A of regulation 5 of the said Regulation for a period of one year or preparation of a charter, whichever is earlier.

2. For the purpose of periodical inspection and testing of installation by the Electrical Inspector under Regulation 30 of the said Regulations 250 volt shall be the notified voltage.

3. For the purpose of self-certification, the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electrical Supply), Amendment Regulations, 2015 shall apply.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.